

અધ્યાય 1

1.1 झारखण्ड का परिचय

भारतीय संघ का 28 वाँ राज्य, झारखण्ड, 15 नवम्बर 2000 को बिहार से अलग कर बनाया गया। यह राज्य कुल 79,714 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला है तथा राज्य की आबादी 3.30 करोड़ है। राज्य में विशाल वन क्षेत्र एवं खनिज भंडार है तथा इसकी दो तिहाई श्रम-शक्ति कृषि पर निर्भर है। **परिशिष्ट 1.1 के पार्ट-ए** में राज्य का संक्षिप्त सामाजिक व आर्थिक रूपरेखा दी गई है। सामाजिक विकास के पहलू पर देखा जाए तो झारखण्ड सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ी हुई है। झारखण्ड में सम्पूर्ण भारत के औसत स्तर से अपेक्षाकृत कम शिक्षा दर (67.63 प्रतिशत), अधिक मातृत्व मृत्यु दर (261 प्रति लाख), कम शिशु मृत्यु दर (41 प्रति हजार जीवित जन्म) तथा अपेक्षाकृत अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। झारखण्ड का जनघनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। पिछले दशक में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.46 प्रतिशत) की तुलना में धीमी गति से वृद्धि करते हुए 14.07 प्रतिशत रही।

1.1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय 2011-12 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में पिछले पाँच वर्षों में समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखे के संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 पार्ट-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 पार्ट-सी** दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए** में दिये गये हैं। राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

1.2 चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष (2010-11) के साथ-साथ चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए** वर्ष 2011-12 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियाँ	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12		
खण्ड क: राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
18781.12	राजस्व प्राप्तियाँ	22419.45	17944.74	राजस्व व्यय	13345.30	7646.28	20991.58
5716.63	कर राजस्व	6953.89	6990.80	सामान्य सेवायें	7399.49	446.07	7845.56
2802.89	कर भिन्न राजस्व	3038.22	6707.30	सामाजिक सेवायें	3728.14	3558.89	7287.03
6154.35	संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	7169.93	4246.47	आर्थिक सेवायें	2217.67	3641.32	5858.99
4107.25	भारत सरकार से अनुदान	5257.41	0.17	सहायता अनुदान एवं अंशदान	--	--	--
खण्ड - ख: पूँजीगत							
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	2664.30	पूँजीगत परिव्यय	47.88	3111.49	3159.37
24.12	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	23.42	307.56	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	31.21	185.89	217.10
1.39	अंतर्राज्यीय परिशोधन						
2446.51	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2671.22	1299.43	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	1639.01
-	आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	-	-	आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-
7721.42	लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813.40	7399.85	लोक लेखा संवितरण			9727.77
640.91	आरंभिक रोकड़ शेष	(-)0.41	(-)0.41	अंतर्राज्यीय परिशोधन			75.40
				रोकड़ अंतर्शेष			116.85
29615.47	कुल	35927.08	29615.47	कुल	13424.40	10943.66	35927.08

स्रोत: वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर।

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन नीचे दिये गये हैं-

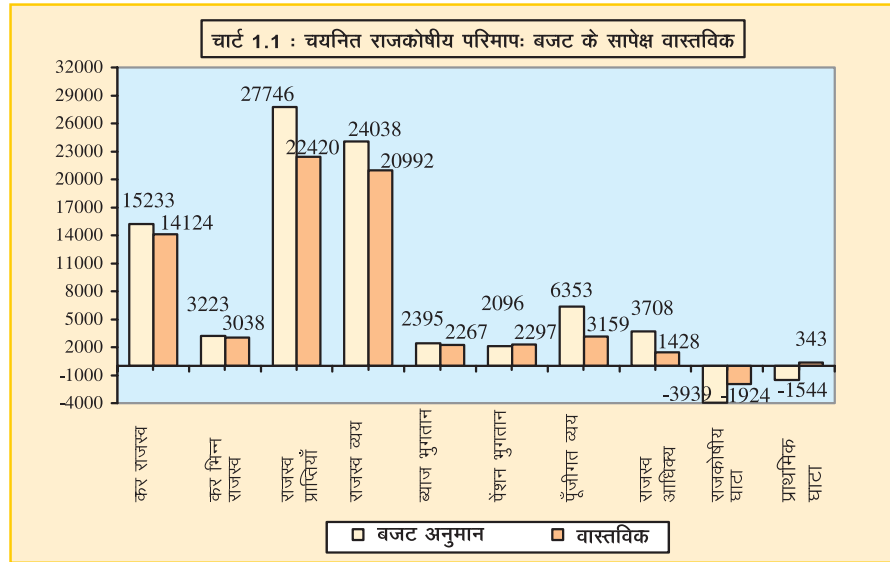
- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 3,639 करोड़ (19 प्रतिशत) बढ़ गयी। वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व में ₹ 1,237 करोड़ (22 प्रतिशत), गैर कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 235 करोड़ (8 प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 1,016 करोड़ (17 प्रतिशत) और सहायता-अनुदानों में ₹ 1,151 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि के फलस्वरूप थी। तथापि, राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 27,746 करोड़ के बजट अनुमान से कम रही।
- तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) द्वारा नियत किए गए कर-राजस्व (₹ 8,176 करोड़) एवं कर भिन्न राजस्व (₹ 3,594 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य के वास्तविक कर एवं कर भिन्न प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 6,954 करोड़ (85 प्रतिशत) एवं ₹ 3,038 करोड़ (85 प्रतिशत) रही। इस प्रकार दोनों मोर्चों पर यह ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक प्रक्षेपण से कम थी।

- सामान्य सेवाओं (₹ 855 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 580 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 1,613 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 3,047 करोड़ (17 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 24,038 करोड़ के बजट अनुमान से कम थी।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में ग्रामीण विकास, सिंचाई व जल आपूर्ति मद में अधिक खर्च होने के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 495 करोड़ (19 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम की वसूली लगभग समान रही जबकि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2011-12 के दौरान संवितरण ₹ 91 करोड़ (30 प्रतिशत) कम रही।
- पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 224 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 340 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3,092 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा संवितरण में ₹ 2,328 करोड़ (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- इन लेन-देनों का निवल प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा 2011-12 के अन्त में रोकड़ शेष में ₹ 117.26 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.1 बजट आकलन के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष के लिये राजस्व एवं व्यय के अनुमान या प्रयोजना की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिये राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों के विचलन के कई कारण हो सकते हैं। यह बजट निर्माण के समय अधिक/कम अनुमान या अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं के कारण ऐसा हो सकता है।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंडों के संबंध में बजटीय एवं वास्तविक आंकड़ों को तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि पेंशन भुगतान को छोड़कर, वास्तविक प्राप्तियाँ व खर्चें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के निमित्त बजट अनुमान से कम थे। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 5,326 करोड़) मुख्यतया राज्य बजट में अनुमानित राशि के विरुद्ध भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्ति में कमी (₹ 4,032 करोड़) के कारण हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 3,046 करोड़) में कमी सामाजिक सेवाओं (₹ 2,237 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 787 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में कमी के कारण हुई।

राज्य के पूँजीगत व्यय में कमी राज्य के बजट अनुमान के विरुद्ध सामाजिक सेवाओं (₹ 1,156 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 2,014 करोड़) पर कम व्यय के कारण हुई, जो राज्य के लिए चिंता की विषय थी।

1.2.2 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार ने सरकार के राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया (परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी.)। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। यद्यपि, तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) ने राजकोषीय समेकन को सभी अनुदानों एवं ऋण राहत की सुविधा से जोड़ते हुए सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित संसुद्धि पथ अनुसंधित किया है।

तदनुसार, राज्य ने इसके एफ.आर.बी.एम.(संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्य कालीन राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2011 एवं 2012 में उपस्थापित संशोधित लक्ष्य (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत

करना और (iii) 2011-12 में ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 28.5 प्रतिशत करना था। लक्ष्यों को एम.टी.एफ.पी. में पुनः संशोधित किया गया जो निम्न रूप में दिया गया है-

तालिका 1.2: राजकोषीय लक्ष्य बनाम एम.टी.एफ.पी. में उपलब्धि

(प्रतिशत में)

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	वास्तविक 2010-11	लक्ष्य 2011-12	वास्तविक 2011-12	लक्ष्य 2012-13	लक्ष्य 2013-14
स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 0.61	(+) 2.69	(+) 1.15	(+) 3.32	(-) 1.00
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 1.70	(-) 2.80	(-) 1.54	(-) 2.15	(-) 2.50
स.रा.घ.उ. से प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	(+) 0.09	(-) 1.07	(+) 0.3	(-) 0.24	(-) 0.50
ऋण/स.रा.घ.उ.	23.35	25.00	24.70	25.00	25.00

- राज्य ने राजस्व घाटा को 2006-07 में बड़े राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जो पुनः अंतर्वर्षीय परिवर्तन के साथ 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ तक बढ़ गया। यद्यपि, 2011-12 में एम.टी.एफ.पी. में राजस्व आधिक्य का स.रा.घ.उ. से लक्षित अनुपात (2.69 प्रतिशत) प्राप्त नहीं किया जा सका।
- एफ.आर.बी.एम. में निर्धारित स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा का प्रतिशत 2010-11 (1.90 प्रतिशत) तथा 2011-12 (1.54 प्रतिशत) के निर्धारित लक्ष्य के काफी अन्दर था। यह प्रतिशत एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित सीमा (2.80 प्रतिशत) के काफी अन्दर था।
- 2011-12 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 24.70 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. (28.5 प्रतिशत) तथा एम.टी.एफ.पी. (25 प्रतिशत) के अनुमान के अन्दर था।

1.3 राज्य के संसाधन

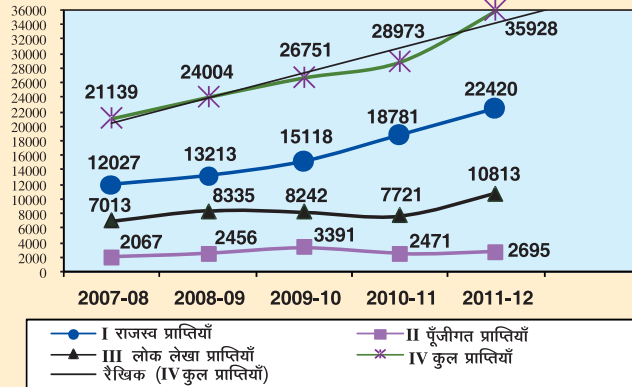
1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन के लिए प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं, राजस्व और पूँजीगत। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है।

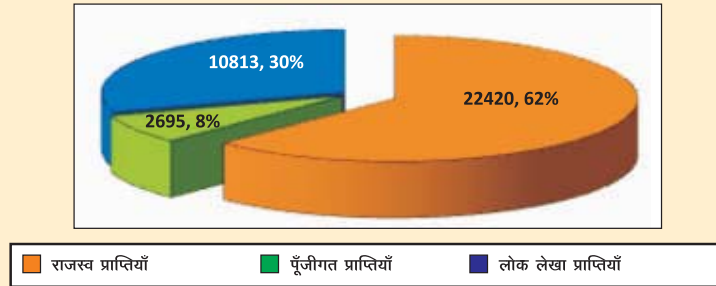
तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखे में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2**, 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है।

चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.3: 2011-12 के दौरान राजस्व का संयोजन (₹ करोड़ में)



- राज्य की कुल प्राप्तियाँ 2007-08 में ₹ 21,139 करोड़ से 2011-12 में ₹ 35,928 करोड़ तक बढ़ी। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर 2010-11 में आठ प्रतिशत से 2011-12 में 24 प्रतिशत था, जो मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,639 करोड़ (19 प्रतिशत) तथा लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3,092 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2007-12 में 55 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक दोलित रहा। कुल प्राप्तियों में तुलनात्मक अधिक वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2010-11 में 65 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 62 प्रतिशत हो गया।
- ऋण पूँजीगत प्राप्तियों (पूँजीगत प्राप्तियों घटाव कर्ज एवं अग्रिम की वसूली) 2010-11 में ₹ 2,447 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,671 करोड़ हो गया। इसकी वृद्धि दर 2010-11 में (-)27 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में नौ प्रतिशत थी।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ 2010-11 में ₹ 7,721 करोड़ (27 प्रतिशत कुल प्राप्तियों का) से प्रमुखता से बढ़कर 2011-12 में ₹ 10,813 करोड़ (30 प्रतिशत कुल प्राप्तियों का) हो गया।

1.3.2 राज्य की विशेष जरूरतों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान

झारखण्ड राज्य के लिए ते.वि.आ. द्वारा राज्य की विशेष जरूरतों के अधीन अनुशंसित अनुदान का आवंटन एवं विमोचन **तालिका 1.3** दिया गया है।

तालिका 1.3: 2011-12 के लिए राज्य की विशेष जरूरतों के अधीन अनुदान

(₹ करोड़ में)

विभाग/योजना	प्रावधान	विमुक्त
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास-10,000 आँगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण	108.00	108.00
कल्याण-आदिवासी एवं व्यावसायिक सोसाइटियों के लिए छात्रावास	31.25	30.87
गृह-पुलिस प्रशिक्षण	18.25	15.86
गृह-आवास	56.25	56.25
कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले/विरासत गैलरी	25.00	22.00
श्रम एवं रोजगार-10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण	50.00	50.00
ग्रामीण विकास-प्रखंड स्तर पर भवनों का निर्माण	67.50	67.50
कुल	356.25	350.48

स्रोत:- वित्त विभाग

राज्य को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 356.25 करोड़ की राशि की अनुशंसा के विरुद्ध विभिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए ₹ 350.48 करोड़ प्राप्त हुए। कम राशि की विमुक्ति कल्याण (₹ 0.38 करोड़), पुलिस प्रशिक्षण (₹ 2.39 करोड़) तथा कला एवं संस्कृति (₹ तीन करोड़) के अंतर्गत हुआ।

2011-12 के विस्तृत विनियोग लेखे द्वारा पाया गया कि ते.वि.आ. द्वारा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग (₹ 108 करोड़) तथा कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले (₹ 25 करोड़) की आवंटित राशि, जो राज्य बजट द्वारा प्रदान किये गये थे, प्रयोग नहीं किए जा सके और सम्पूर्ण राशि विभागों द्वारा प्रत्यर्पित कर दी गई।

1.3.3 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों¹ को केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में निधि सीधे हस्तांतरित की गई। चूंकि यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है, वार्षिक वित्त लेखे इस निधि के प्रवाह को समाहित नहीं करता है और उस सीमा तक उनसे उत्पन्न राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चल/प्राचल न्यून प्राक्कलित है। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किये गये हैं।

¹ राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वैसे संगठन/संस्थान, गैर-सरकारी संगठन सहित, जो भारत सरकार से निधि प्राप्त करते हैं, राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में सम्मिलित है। जैसे एस.एस.ए. के लिए राज्य कार्यान्वयन संख्याएन.आर.एच.एम. के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि

(₹ करोड़ में)

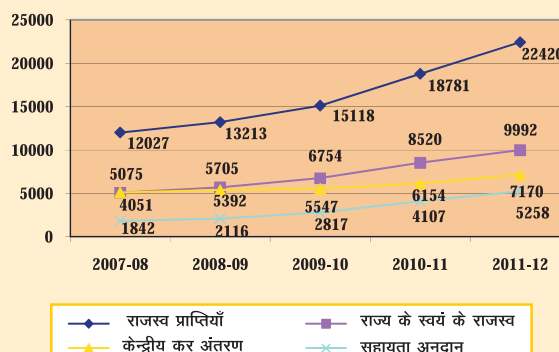
कार्यक्रम/ योजना (केन्द्र: राज्य हिस्से को इंगित)	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	2010-11	2011-12
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	962.87	917.77
ईंदिरा आवास योजना	झारखण्ड ग्रामीण विकास अभिकरण	561.65	215.48
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन), समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	143.44	84.67
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	895.62	579.03
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार के लिए मानव संसाधन	झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन नियंत्रण संस्था	300.07	609.65
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	184.62	220.82
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	40.00	69.00
गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संस्थाएँ	1122.81	1498.00
कुल		4211.08	4194.42
सूचनाएँ कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समाशोधित नहीं की गई। (निधियों के सीधे हस्तांतरण की कुल राशि वर्ष 2011-12 एवं 2010-11 में झारखण्ड राज्य के क्षेत्र से बाहर से संगठनों को विमुक्त क्रमशः ₹ 146.05 करोड़ एवं ₹ 118.40 करोड़ सम्मिलित नहीं।)			

संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधि के कारण इन निधियों के अनुचित उपयोग का जोखिम रहता है। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा कोई समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता इन सीधे हस्तांतरित निधि के खर्च का राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड द्वारा अद्यतन सूचना को विधिमान्य नहीं बनाया जाता तब तक इसके पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

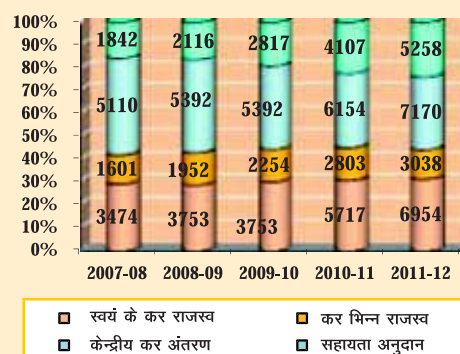
1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर और कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। वित्त लेखे की विवरणी -11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। 2007-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 में दिखाया गया है एवं क्रमशः चार्ट 1.4 और चार्ट 1.5 में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



चार्ट 1.5: 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन (₹ करोड़ में)



- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2007-08 में ₹ 12,027 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 22,420 करोड़, 17.2 प्रतिशत की औसत विकास दर से बढ़ी। 2011-12 के दौरान प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के तुलना 19.4 प्रतिशत से बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2011-12 के दौरान ₹ 5,326 करोड़ से कम रही। औसतन, जहाँ 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का करीब 45 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ, वही इस अवधि के दौरान कुल राजस्व का 55 प्रतिशत सम्मिलित रूप से केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ।
- वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (₹ 22,420 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 6,954 करोड़ (31 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व ₹ 3,038 करोड़ (14 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण ₹ 7170 करोड़ (32 प्रतिशत) और सहायता अनुदान ₹ 5,258 करोड़ (23 प्रतिशत) थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इन शीर्षों में वृद्धि क्रमशः 21 प्रतिशत, आठ प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रही।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) ₹ करोड़ में	12027	13213	15118	18781	22420
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.1	9.9	14.4	24.2	19.4
आर.आर./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.3	15.1	15.6	17.0	18.1
राज्य के स्वयं कर/ स.रा.घ.उ.	4.1	4.3	4.6	5.2	5.6
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	25.42	4.58	10.41	14.27	12.09
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.79	2.15	1.38	1.69	1.60
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	0.35	1.74	1.91	1.89	1.79

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2008-09 में 9.9 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 2010-11 में 24.2 प्रतिशत हो गई। तथापि, यह 2011-12 के दौरान घटकर 19.4 प्रतिशत तक पहुँच गई।
- स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता 2007-12 के दौरान 0.79 तथा 2.15 के बीच रही। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (9.9 प्रतिशत) की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (4.6 प्रतिशत) निम्न स्तर पर रहने के कारण यह 2008-09 में उच्चतम स्तर पर था। जबकि 2007-08 में यह स.रा.घ.उ. के उच्चतम वृद्धि दर (24.2 प्रतिशत) के कारण निम्नतम स्तर (0.79 प्रतिशत) पर रहा। 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि में स.रा.घ.उ. की तुलना में तेजी से कमी हुई जिसके कारण राजस्व उत्प्लावकता 2010-11 में 1.69 से गिर कर 2011-12 में 1.60 हो गई।
- स.रा.घ.उ. एवं स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर में व्यापक विचलन के कारण राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता 2007-12 के दौरान 0.35 और 1.91 के बीच रही। उत्प्लावकता 2009-10 में 1.91 से 2010-11 में 1.89 की उत्तरोत्तर कमी हुई। पुनः 2011-12 में उत्प्लावकता 1.79 तक घटी, जबकि राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि में स.रा.घ.उ. की अपेक्षा उच्चतर दर से कमी हुई।
- 2007-08 से 2011-12 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 4.6 प्रतिशत से 25.4 प्रतिशत तक वृहत् अन्तर दर्ज किया गया जबकि वृद्धि दर 2010-11 में 14.3 प्रतिशत तक बढ़ी जो 2011-12 में, ते.वि.आ. के मानक 14.14 प्रतिशत के विरुद्ध, घटकर 12.1 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण उत्पादन एवं उद्योग प्रक्षेत्र के वृद्धि में कमी थी।

² आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे - राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेंगी।

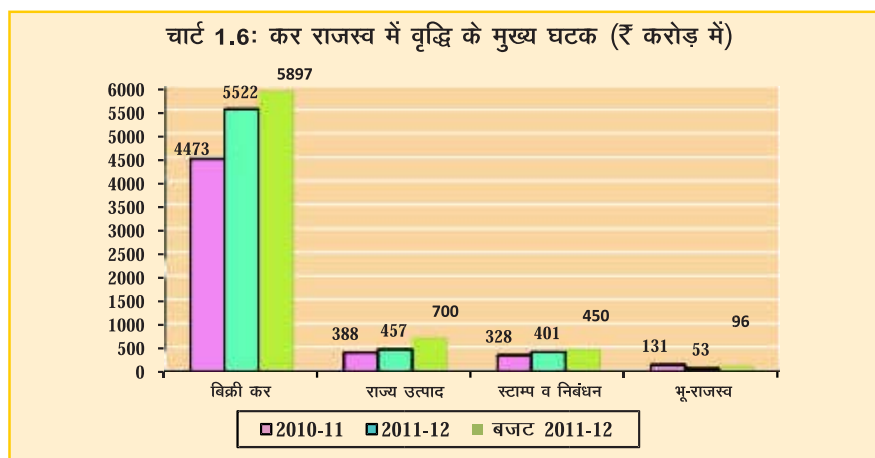
1.4.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कर प्राप्ति के संग्रहण और योजनागत कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता इत्यादि के द्वारा केन्द्रीय करें और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन जिसमें राजस्व के रूप में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, वाहन कर, भू-राजस्व आदि तथा कर भिन्न राजस्व के रूप में स्वयं के संसाधन के वृद्धि के द्वारा किया जाना चाहिए।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2007-08 में ₹ 3,474 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 6,954 करोड़ हो गया। 2007-08 एवं 2008-09 में आठ प्रतिशत से 2010-11 में 27 प्रतिशत तक बढ़ा जो 2011-12 में आंशिक रूप से घटकर 21 प्रतिशत हो गया। 2011-12 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर की भागीदारी 79 प्रतिशत थी। इसके बाद राज्य उत्पाद (सात प्रतिशत), स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन (छ: प्रतिशत) की भागीदारी रही।

पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कर राजस्व के मुख्य घटक को चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।



2011-12 के दौरान, ते.वि.आ. के सामान्य अनुमान ₹ 8,176 करोड़ के विरुद्ध राज्य का स्वयं का कर ₹ 6,954 करोड़ रहा। ते.वि.आ. तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का कारण बिक्री कर एवं राज्य उत्पाद के अनुमान से कम संग्रहण होना था। इन शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित संग्रहण क्रमशः ₹ 5,897 करोड़ तथा ₹ 700 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5,522 करोड़ तथा ₹ 457 करोड़ का वास्तविक संग्रहण हुआ। 2011-12 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.6 प्रतिशत) था। जो एम.टी.एफ.पी. के 5.4 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था जबकि यह ते.वि.आ. के 6.38 प्रतिशत के अनुमान से काफी कम था।

कर भिन्न राजस्व

वर्ष 2011-12 के दौरान ते.वि.आ. के मानक ₹ 3594 करोड़ के विरुद्ध कुल कर भिन्न राजस्व का संग्रहण ₹ 3038 करोड़ था।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कर भिन्न राजस्व राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत था। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों में इसका प्रतिशत 2010-11 में 15 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 14 प्रतिशत हो गया। कर भिन्न राजस्व का वृद्धि दर 2010-11 में 24 प्रतिशत से मुख्य रूप से घटकर 2011-12 में आठ प्रतिशत हो गया। जो मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं अन्य सामाजिक सेवाओं, पर्यटन एवं उद्योगों में कम संग्रहण के कारण हुआ, यद्यपि अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों में 2011-12 में वृद्धि हुई।

1.4.1.1 कर के संग्रह की लागत

2011-12 के दौरान मुख्य करों तथा व्यय से होने वाले कर संग्रह के कुल संग्रह तथा उनके संगत अखिल भारतीय औसत तालिका 1.6 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.6: कर के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे शीर्ष	2011-12 के दौरान सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5522	50.20	0.91	0.75
2	राज्य उत्पाद	457	15.95	3.49	3.05
3	मोटरयान कर	392	4.60	1.17	3.71
4	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	401	11.34	2.83	1.60

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

2011-12 के दौरान बिक्री कर, राज्य के उत्पाद एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी अधिक था। राज्य सरकार को उक्त विभागों के कर संग्रह की दक्षता को बेहतर बनाना चाहिए तथापि, मोटर यान कर के संग्रह की लागत भी अखिल भारतीय औसत से काफी कम था।

1.4.2 केंद्रीय कर हस्तांतरण

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 7,170 करोड़) में ₹ 1,016 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 617 करोड़) निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 162 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 167 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 242 करोड़) के अंतर्गत हुई थी।

1.4.3 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

भारत सरकार द्वारा गैर-योजनागत, राज्य योजना, केन्द्रीय पोषित प्रायोजित तथा केंद्र योजना स्कीमों पर विमुक्ति सहायता अनुदानों की प्रवृत्ति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:-

तालिका 1.7: भारत सरकार द्वारा विमोचित अनुदान-विषयवार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-योजना	राज्य योजना	केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजना स्कीम	कुल	प्रतिशत वृद्धि
2007-08	556.49	752.18	533.10	1841.77	21
2008-09	591.91	1054.18	469.79	2115.88	15
2009-10	1145.33	982.97	688.33	2816.63	33
2010-11	1281.40	1826.99	998.86	4107.25	46
2011-12	1550.77	2404.61	1302.03	5257.41	28

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- 2011-12 के दौरान, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान 2010-11 के ₹ 4,107.25 करोड़ के अनुदान से 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,257.41 करोड़ थी।
- चालू वर्ष में गैर-योजना अनुदान, राज्य योजना अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीम हेतु अनुदानों में क्रमशः
₹ 269.36 करोड़ (21 प्रतिशत), ₹ 577.62 करोड़ (32 प्रतिशत) और ₹ 303.17 करोड़ (30 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।
- गैर-योजना अनुदानों में वृद्धि का कारण मूलतः ते.वि.आ. (₹ 611.51 करोड़) के अनुशंसा पर अनुदानों में वृद्धि तथा राज्य को केन्द्रीय बिक्री कर (₹ 243 करोड़) के कम करने के कारण हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति थी।
- राज्य योजना अनुदान में वृद्धि मुख्यतया पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (₹ 184 करोड़) के अंतर्गत हुआ। केन्द्रीय योजना स्कीम के अधीन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए अनुदानों में ₹ 199 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

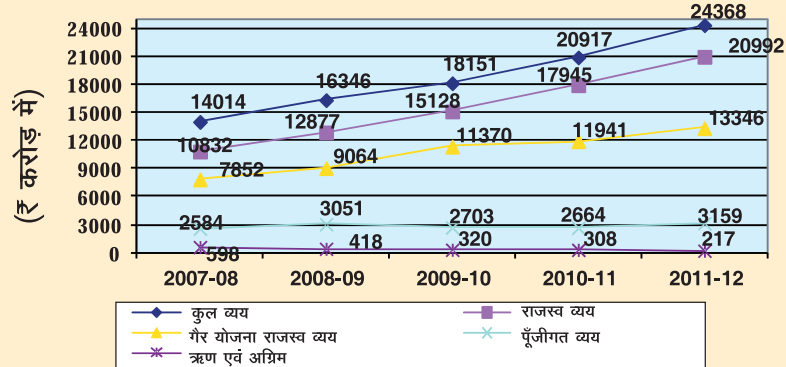
1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन पर मुख्य व्यय करने का उत्तरदायित्व है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बहाने में बजटीय बाध्यता थी। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय शुद्धि और सुदृढीकरण की प्रक्रिया उधार द्वारा सम्पोषित लोक व्यय की बढ़ी हुई प्रकृति को बिना नकारते हुए विकास एवं सामाजिक व्ययों को ध्यान में रखा जाय।

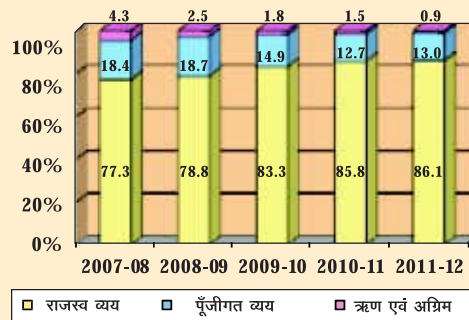
1.5.1 कुल व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 2007-08 से 2011-12 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। इसके संघटक "आर्थिक वर्गीकरण" और "क्रियाकलापों द्वारा व्यय" दोनों के संदर्भ में क्रमशः चार्ट 1.8 और 1.9 में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय : प्रवृत्ति एवं संघटन



चार्ट 1.8: कुल व्यय : घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति (प्रतिशत में हिस्सेदारी)



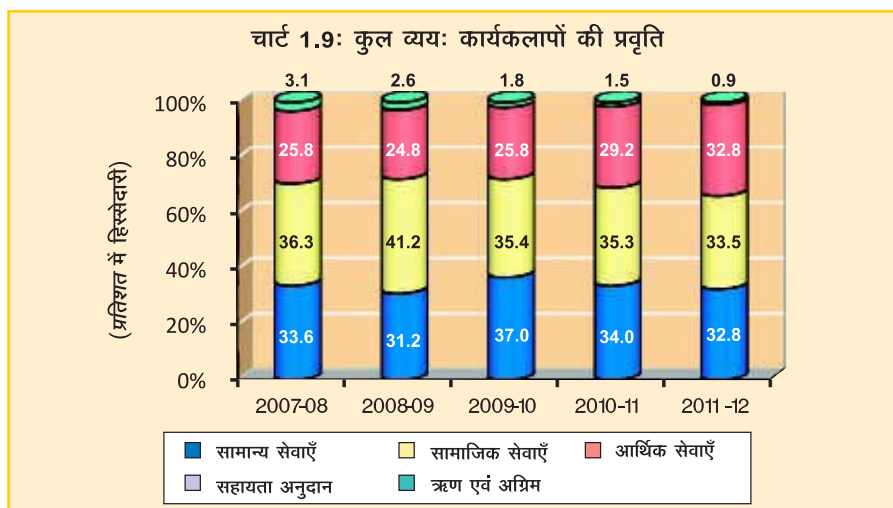
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल व्यय 15 प्रतिशत के औसत वृद्धि दर से बढ़ा। 2011-12 के दौरान वृद्धि दर 16 प्रतिशत थी।
- कुल व्यय में से राजस्व व्यय 86 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय 13 प्रतिशत था। संवितरित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का केवल एक प्रतिशत था।
- वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय की प्रवृत्ति दर्शाता है कि गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय 2010-11 में क्रमशः 58 और 48 प्रतिशत की अपेक्षा 2011-12 में 55 और 45 प्रतिशत थी। कुल व्यय में ₹ 3,451 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से योजना व्यय में (₹ 2,147 करोड़) वृद्धि था।

1.5.2 कार्य कलाओं के संदर्भ में कुल व्यय

कार्यकलाओं के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), समाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदानों एवं ऋण व अग्रिम पर समग्र व्यय है।

कार्यकलाओं द्वारा व्यय (चार्ट 1.9) का विश्लेषण दर्शाता है कि गैर-विकासात्मक रूप में समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं पर व्यय, 2011-12 के दौरान 32.8 प्रतिशत रही जो 2008-09 (31.2 प्रतिशत) को छोड़कर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम थी। दूसरी ओर 2009-10 में 61.1 प्रतिशत तथा 2010-11 में 64.5 प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 के

दौरान विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय सम्मिलित रूप से 66.2 प्रतिशत रही।



1.5.3 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय 18.7 प्रतिशत के औसत वृद्धि दर से 2007-08 में ₹ 10,832 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 20,992 करोड़ (94 प्रतिशत) हो गई। 2011-12 में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2011-12 के दौरान, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर 2010-11 में क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत की तुलना में घटकर क्रमशः नौ प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत हो गई जो विकासात्मक/उत्पादक सेवाओं पर कम व्यय का संकेतक था।
- स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व की उत्प्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियाँ 2010-11 के क्रमशः 1.30 तथा 0.77 के सापेक्ष बढ़कर 2011-12 में क्रमशः 1.40 तथा 0.88 हो गई। 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 12 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व व्यय की वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी।

1.5.3.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) 2010-11 के कुल राजस्व व्यय के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 36 प्रतिशत हो गया, जबकि पी.आर.ई. की वृद्धि दर में 2007-12 के दौरान (-)1.4 प्रतिशत और 61 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2011-12 के दौरान, अ.जा. व अ.ज.जा. कल्याण (₹ 174 करोड़) तथा परिवहन (₹ 507 करोड़) में मुख्य रूप से बढ़ोत्तरी के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष पी.आर.आई. ₹ 1,642 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ ₹ 7,646 करोड़ हो गई।

1.5.3.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

2011-12 के दौरान एम.टी.एफ.पी. के ₹ 13,724 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध एन.पी.आर.ई. ₹ 13,346 करोड़ थी। 2009-10 के 25.4 प्रतिशत की तुलना में एन.पी.आर.ई. की वृद्धि दर में 2010-11 में 5 प्रतिशत तक का भारी ह्रास हुआ। तथापि, 2011-12 में इसमें 12 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 2007-12 के दौरान कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. की प्रतिशतता 55 से 63 के बीच दोलित रही। 2011-12 के दौरान, कुल व्यय में एन.पी.आर.ई. 55 प्रतिशत थी तथा राजस्व व्यय का यह 64 प्रतिशत था।

1.5.4 पूँजीगत व्यय

2007-12 के दौरान, पूँजीगत व्यय (सी.ई.) 2007-08 में ₹ 2,584 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 3,159.37 करोड़ हो गई।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 126 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 256 करोड़) पर हुए अधिक व्यय के कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 495.07 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 6,353 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था। 2007-12 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी 13 से 19 प्रतिशत थी।
- 2010-11 के अवधि एवं 2011-12 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता (13 प्रतिशत) एक समान रही। पूँजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का 2.54 प्रतिशत थी तथा यह प्रतिशतता 2011-12 के लिए एम.टी.एफ.पी. द्वारा अनुमानित प्रतिशतता (3.15 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था।
- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम की हिस्सेदारी एक प्रतिशत (2007-08) से 4 प्रतिशत (2011-12) तक लंबित था। 2011-12 के दौरान ऊर्जा के लिए आवंटित ऋण में (₹ 110 करोड़) की कमी के कारण, यह 2010-11 में ₹ 308 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गई। तथापि, चालू वर्ष में ऋण एवं अग्रिम ₹ 2,731.22 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में कम थी।

1.5.5 वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार का व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन और सब्सिडी से संघटित होता है जो प्रतिबद्ध या अनिवार्य प्रकृति के होते हैं, यद्यपि सरकार ने इन सभी व्यय को प्रतिबद्ध या अनिवार्य नहीं बताया।

तालिका 1.8 और चार्ट 1.10 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति दर्शाता है।

तालिका 1.8: वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बी ई #	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	2985 (25)	3948 (30)	5342 (35)	5642(30)	7434	6352(28)
गैर-योजना शीर्ष	2802 (23)	3801 (29)	5154 (34)	5434(29)	7053	6150(27)
योजना शीर्ष	183 (2)	147 (1)	188 (1)	208(1)	381	202(1)
ब्याज भुगतान	1758 (15)	1887 (14)	2307(15)	2228(12)	2395	2267(10)
पेंशन पर व्यय	818 (7)	988 (7)	1681(11)	2081(11)	2096	2297(10)
सब्सिडी	77 (1)	37 (0.3)	41(0.3)	80	₹	286(2)
कुल	5638 (47)	6860 (52)	9371 (62)	10031 (53)	11925	11202(50)

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

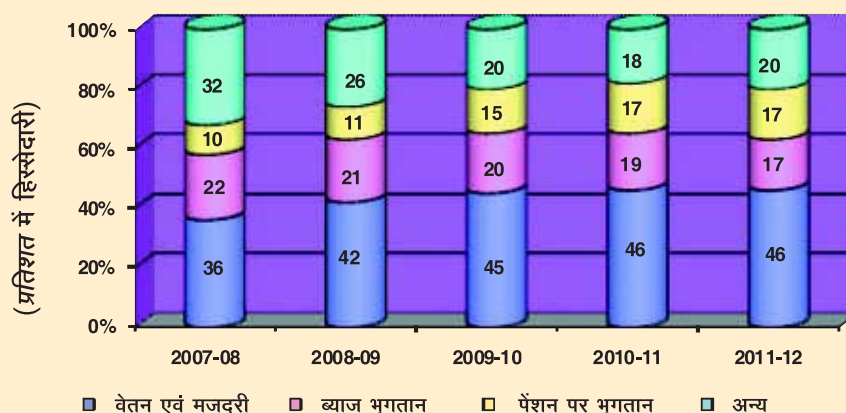
* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

बजट अनुमान के सकल आँकड़े जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़े हैं।

₹ बजट उपलब्ध नहीं।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

चार्ट 1.10: 2007-12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी



2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6,352 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,267 करोड़) और पेंशन (₹ 2,297 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय के 52 प्रतिशत लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। 2011-12 के दौरान वेतन पेंशन और ब्याज भुगतान पर कुल व्यय एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 75 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध एन.पी.आर.ई का 80 प्रतिशत थी।

वेतन एवं मजदूरी

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 28 से 35 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 25 से 35 प्रतिशत था। राजस्व

व्यय और राजस्व प्राप्तियों में वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता 2010-11 में क्रमशः 31 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 30 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत हो गई।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2011-12 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6,150 करोड़) ₹ 716 करोड़ (13 प्रतिशत से) बढ़ा। उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक प्रक्षेपण (₹ 4,967) से ₹ 1,183 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- 2007-08 में पेंशन पर व्यय 36 प्रतिशत के औसत वृद्धि दर से ₹ 818 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,297 करोड़ हो गया। 2011-12 के दौरान वृद्धि पिछले वर्ष से केवल 10 प्रतिशत थी, जो ते.वि.आ. के मानक के बराबर थी। तथापि, 2011-12 के लिए पेंशन अदायगी की राशि उक्त वर्ष के लिए ते.वि.आ. के ₹ 1,291 करोड़ के मानक प्रक्षेपण से अधिक थी। यह 2011-12 के बजट अनुमान से भी ₹ 201 करोड़ (10 प्रतिशत) अधिक था।
- भविष्य में पेंशन तथा पेंशनरी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने एक जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। राज्य ने 20 मार्च 2009 को नई पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ एक करार किया तथा 2011-12 के दौरान मार्च 2010 से नवम्बर 2010 तक की अवधि का ₹ 148.20 करोड़, कर्मचारी अंशदान एवं सरकारी अंशदान के निमित्त (प्रत्येक ₹ 74.10 करोड़) और ₹ 0.74 करोड़ लीगेसी राशि पर ब्याज के निमित्त केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी.आ.ए.) को हस्तांतरित किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ.के ₹ 2,687 करोड़ के मानक प्रक्षेपण के विरुद्ध 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2,267 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान का वृद्धि दर दो प्रतिशत था। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2009-10 के 15 प्रतिशत और 2010-11 के 12 प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 में 10 प्रतिशत ही था।
- 2010-11 तथा 2011-12 दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.9 में दिये गये हैं-

तालिका 1.9: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

के लिये ब्याज भुगतान	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	1835.53	1941.20
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	215.15	165.81
राज्य भविष्य निधि	170.78	157.76
कुल	2221.46	2264.77

सब्सिडी

- 2011-12 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 286 करोड़³ के सब्सिडी का भुगतान शीर्ष 2401-फल उत्पादन (₹ 176.81 करोड़), 2425-कोपरेटिव (₹ 28.30 करोड़) और 2852-उद्योग (₹ 54.28 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी के निमित्त उप-शीर्ष के अधीन ही दर्ज किए गए थे। यह राशि 2010-11 के दौरान खर्च हुए राशि (₹ 80 करोड़) से काफी अधिक थी।
- 2011-12 के वित्त लेखे के परिशिष्ट-III के अनुसार खाद्य, ऊर्जा व सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी। झारखण्ड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (ई.एस.आर.) में 2011-12 के लिए ₹ 760 करोड़ के खाद्य सब्सिडी का अनुमान किया गया था। वित्त विभाग से लेखों में संबंधित खाद्य सब्सिडी पर वास्तविक व्यय तथा व्यय शीर्ष बताने का आग्रह किया गया था (अक्टूबर 2012)। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर, 2012)।

1.5.6 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2011-12 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका

1.10 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.10: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पंचायती राज संस्थाएँ	-	-	875.69	581.06
शहरी स्थानीय निकाय	735.64	485.14	246.15	25.34
सार्वजनिक उपक्रम	200.70	602.64	491.55	777.00
स्वायत्त निकाय	923.83	678.31	607.55	677.85
गैर-सरकारी संस्थाएँ	7.60	17.87	192.43	209.68
अन्य	498.08	548.98	708.34	2259.30 ⁴
कुल	2365.85	2332.94	3121.71	4530.23

स्रोत: वित्त लेखे की विवरणी 8

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 2,365.85 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4,530.23 करोड़ तक स्थिरता से बढ़ा। उपरोक्त सहायता की वृद्धि दर 2009-10 में (-) एक प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 34 प्रतिशत हो गई जो आगे 2011-12 में 45 प्रतिशत तक जा पहुँची।

³ वित्त लेखे के परिशिष्ट-III

⁴ राशि में सम्मिलित है (1) निजी स्कूलों के लिए मानव संसाधन विकास विभाग (₹ 255.81 करोड़), समेकित एवं असमेकित कार्य योजना के लिए जिला प्रशासन (₹ 581.15 करोड़) वृहत रॉन्ची विकास अभिकरण (₹ 149.46 करोड़), जनजाति विकास हेतु जनजाति कल्याण समिति (₹ 147.46 करोड़) और रेलवे परियोजनाएँ (₹ 486.70 करोड़)

- 2011-12 में वित्तीय सहायता में ₹ 1,551 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण अन्य संस्थाओं (नीचे दिये गये पाद टिप्पणी 4) को भुगतित नया वित्तीय सहायता (₹ 1,621 करोड़) था जिसका कुछ भाग पंचायती राज संस्थानों (295 करोड़) और शहरी स्थानीय निकायों (₹ 221 करोड़) को कम सहायता द्वारा प्रतितुलित था। इन संस्थानों को दी गई कुल सहायता राशि पिछले वर्ष के कुल राजस्व व्यय के 17 प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 में 22 प्रतिशत रही।

1.5.7 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यों जैसे कि नगर-योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामों किये जाने थे। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्ष 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने **परिशिष्ट 1.5** में इंगित सभी 18 कार्यों को समाविष्ट करते हुए फरवरी, 2012 में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 को अधिनियमित किया। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगरपरिषद्-14, नगर पंचायत-19, नगरपालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.11 से प्रदर्शित होता है कि झारखण्ड सरकार ने 2008-12 के दौरान स्थानीय शहरी निकायों को कुल ₹ 1,492.72 करोड़ के अनुदानों का भुगतान किया। तथापि, 2008-12 के दौरान इसकी प्रवृत्ति अनुदानों के निकास में कमी दर्शाती है। 2010-11 में ₹ 241.54 करोड़ के विरुद्ध 2011-12 के दौरान स्थानीय निकायों की सहायता मद में महत्वपूर्ण कमी पायी गई, जिसका मुख्य कारण मल व्यवस्था, जल निकास, जल आपूर्ति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निर्माण, नागरिक सुविधायें, इमारतों का निर्माण, भू-अधिग्रहण आदि सहायक मदों का अप्राप्त होना था। स्थानीय शहरी निकायों को निर्गत निधियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.11: स्थानीय निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा. प्रा.)	13213	15118	18781	22420
2	राज्य की राजस्व व्यय (रा. व्यय)	12877	15128	17945	20992
3	स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	736	485	246	25
4	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता	5.58	3.21	1.31	0.11
5	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता	5.72	3.21	1.37	0.12
6	स्वयं के संग्रह ⁵	-	-	3.23	18.84

⁵ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित किये गये निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों के लेखा परीक्षा के दौरान उद्भेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किये गये (2010-11: नगर पंचायतें-बासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगर पालिका परिषद् लोहरदगा तथा 2011-12 नगर पंचायतें- विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल नगर पालिका, जुगसलाई और राँची नगर पालिका निगम)।

जनवरी 2009 में अस्तित्व में आये दूसरे राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर, 2012 तक स्थानीय शहरी निकायों की निधियों को सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः स्थानीय निकायों को कार्यो तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर, 2012)। उनका जबाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर, 2012)।

झारखण्ड में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों के लेखापरीक्षा का कार्यभार भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी, पर्यवेक्षक-स्थानीय लेखे, को सौंपा गया है। ते.वि.आ. के निर्देशों के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने (मार्च, 2012 में) झारखण्ड स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित किया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान अंतर्निहित है और जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिया जाएगा। तथापि, सितम्बर, 2012 तक भी डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं होने के कारण स्थानीय शहरी निकायों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु भी नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लघु शीर्षो 196-जिला परिषद् को अनुदान, 197-प्रखंड पंचायत को अनुदान और 198-ग्राम पंचायत को अनुदान के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमोचित निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मदों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4706 पंचायती राज संस्थाएँ^७ हैं। **तालिका 1.12** के अनुसार, 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। 2010-12 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 1,456.75 करोड़ का भुगतान किया गया। पंचायती राज संस्थानों को दिये गए सहायता राशि का विवरण इस प्रकार है :

^७ 24 जिला परिषदों, 259 पंचायत समितियाँ और 4423 ग्राम पंचायतें

तालिका 1.12: पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420
2	राज्य की राजस्व व्यय (रा.व्यय)	12877	15128	17945	20992
3	पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	-	876	581
4	आर.आर.से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	-	4.66	2.59
5	आर.ई. से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	-	4.88	2.77
6	स्वयं संग्रह	-	-	**	**

* पी.आर.आई. को चुनाव दिसम्बर 2010 में हुई थी।

** राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी, 2009 में अस्तित्व में आये दूसरे राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर, 2012 तक पंचायती राज संस्थानों को निधियाँ सौंपने संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों (अनुदानों/कार्यक्रम निधियों के अलावे) के राजस्व स्रोतों की पहचान नहीं की है, क्योंकि पंचायती राज संस्थानों द्वारा करों का दर, पथ करों तथा शुल्कों आदि को निर्धारित व अधिसूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2012)।

ई.एफ.सी. की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने "झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012" अधिसूचित (मार्च 2011) किया तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखाकरण किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (सितम्बर, 2012)।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं का विद्यमान होना व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय के उत्कर्ष में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू पर्याप्तता (अर्थात् सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (लोक सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

1.6.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न होगी यदि यह अपने क्रम के सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से कम है।

तालिका 1.13 2008-09 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.13: 2008-09 और 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	एई/स.रा.घ. उ.	डी ई#/ए.इ.	एस.एस.इ./ ए. ई.	सी ई/ ए. ई.	शिक्षा/ए ई	स्वास्थ्य/ ए.ई.
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2008-09	18.62	68.54	41.67	18.67	19.40	4.79
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2011-12	19.63	67.09	33.51	12.96	16.65	4.06
ए ई: समुच्चित व्यय, डी ई: विकास पर व्यय, एस एस ई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी ई: पूंजीगत व्यय * स.रा.घ.उ. के अनुपात में # विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूंजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।						

स्रोत: स.रा.घ.उ. के लिए सूचनाएँ राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त की गई थी

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2008-09 एवं 2011-12 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग उपयोग किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के एक भाग के रूप में विकास व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में 2008-09 एवं 2011-12 में थोड़ा अधिक रहा क्योंकि झारखण्ड द्वारा इस मद में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में अधिक खर्च किया गया।

राज्य की पूंजीगत व्यय से सकल व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2008-09 में कुछ अधिक था, लेकिन वर्ष 2011-12 में यह थोड़ा कम हो गया, जैसा कि राज्य द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इस मद में कम खर्च किया गया। भौतिक पूंजीगत निर्माण में कमी की प्राथमिकता के कारण राज्य के संभावित विकास में कमी होगी।

वर्ष 2011-12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम प्राथमिकता दी गयी।

1.6.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय के लिए बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाये और कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स⁶ के प्रावधान पर जोर दें। विकास व्यय⁷ हेतु आबंटन के अलावा कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) का पूंजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे

⁶ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे-कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स वे सामग्री हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को मुफ्त या कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति या समाज के पास ये सामग्री आवश्यकता, योग्यता और सरकार को भुगतान करने की इच्छा के आधार पर होनी चाहिए और उनके उपयोग को बढ़ाने की इच्छुक हों, इन सामग्रियों के उदाहरण हैं, पोषण हेतु गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न का प्रावधान, जीवन स्तर सुधारने और मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, सभी को आधारभूत शिक्षा का प्रावधान, पेयजल और स्वच्छता इत्यादि।

⁷ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चित है। राजस्व लेखे की अपेक्षा सभी व्यय, आबंटन और ऋण एवं अग्रिम को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किये गये हैं। व्यापक रूप में, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय सम्मिलित है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में है।

समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना उँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.14 पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय के साथ-साथ चालू वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के समुच्चयित व्यय के तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.14: विकास का व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास पर व्यय (अ से स)						
अ. विकास पर राजस्व व्यय	6224 (44)	7918 (48)	8523(47)	10954(52)	16171	13146(54)
ब. विकास पर पूंजीगत व्यय	2476 (18)	2875 (18)	2591(14)	2544(12)	6173	3003(12)
स. विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	586 (4)	411 (3)	308(2)	296(1)	1316	199(1)
कुल	9286	11204	11422	13794	23660	16348
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्यय + पू.व्यय + ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशत दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़ा है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा वजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक क्षेत्रों पर ऋणों एवं अग्रिम के साथ राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय सम्मिलित है। कुल विकास व्यय 2007-12 के दौरान 15 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2011-12 के दौरान 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2007-12 के दौरान, कुल व्यय का मुख्य हिस्सा विकासात्मक राजस्व व्यय का था और यह 44 प्रतिशत (2007-08) तथा 54 प्रतिशत (2011-12) के बीच था।
- कुल व्यय में विकासात्मक पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) का हिस्सा 2007-08 में 22 प्रतिशत से 2010-11 एवं 2011-12 में 13 प्रतिशत तक क्रमिक रूप से घटा। पुनः जैसा तालिका 1.14 में दर्शाया गया है, विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम बजट अनुमान 2011-12 से काफी कम थे।
- समाज कल्याण सेवाओं (₹ 8,165 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 8,183 करोड़) पर व्यय कुल विकासात्मक व्यय का 50 प्रतिशत था। 2007-12 के दौरान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय 98 प्रतिशत से बढ़ा जबकि समाज कल्याण सेवाओं के संदर्भ में वृद्धि 58 प्रतिशत थी।

चयनित समाज कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय

तालिका 1.15: चयनित समाज कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं पर हुए पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.15: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/ आर्थिक ढाँचा	2010-11			2011-12		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में, हिस्सा		टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर.ई. में, हिस्सा	
		एस.और डब्ल्यू	ओ. और एम.*		एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवायें (एस.एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.08	52.36	00	0.45	54.43	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17.50	60.24	0.05	16.57	54.96	0.10
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	39.60	25.34	4.88	48.12	25.80	2.43
कुल (एस.एस.)	8.46	51.00	0.45	10.75	40.91	0.29
आर्थिक सेवायें (ई.एस.)						
कृषि एवं सहवद्ध कार्यकलाप	2.71	33.62	0.04	7.10	30.99	0.38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	50.38	96.97	00	58.59	98.23	0.00
विद्युत और ऊर्जा	00	00	1.12	16.10	0.00	0.00
परिवहन	82.79	38.61	43.56	49.08	10.72	11.41
कुल (ई.एस.)	37.53	47.40	5.16	28.40	17.05	2.92
कुल (एस.एस. + ई.एस.)	19.84	50.23	1.75	19.59	30.28	3.21
टी.ई. : उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई. : पूँजीगत व्यय; आर.ई. : राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू : वेतन एवं मजदूरी; ओ. और एम. : संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखों के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05-रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2010-11 में 19.84 प्रतिशत से 2011-12 में 19.59 प्रतिशत तक घटी।
- समाज कल्याण सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक 2010-11 में क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 47.40 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 40.91 प्रतिशत एवं 17.05 प्रतिशत हो गई।
- 2011-12 के दौरान, राज्य सरकार ने वृहत शीर्ष- "05 सार्वजनिक सम्पत्ति के अनुरक्षण और मरम्मतें" के अधीन केवल ₹ 298.06 करोड़ खर्च किया।
- समाज कल्याण सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी जल आपूर्ति, मल-निकास, आवास और शहरी विकास पर हुए कम व्यय के कारण 2010-11 में 0.45 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 0.29 प्रतिशत हो गई।
- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी ऊर्जा एवं यातायात पर हुए राजस्व व्यय में कमी के कारण 2010-11 में 5.16 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 2.92 प्रतिशत तक हो गई।

1.7 सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम. के परावर्ती ढाँचे में, राज्य न सिर्फ अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) नीचे स्तर पर रखने के लिए आशान्वित है बल्कि अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित) की जरूरत को पूरा करने के प्रति भी आशान्वित है। इसके अलावे, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की संक्रांति में, राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की

आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड निवेश के व्यापक वित्तीय विश्लेषण और पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये अन्य पूँजीगत व्यय को प्रस्तुत करता है।

1.7.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य के सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम वित्त लेख के परिशिष्ट-IX (i) में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्त लेख-2011-12 के परिशिष्ट के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.7.2 अपूर्ण परियोजनायें

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि के रुकने से व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मार्च, 2012 तक 182 प्रमुख कार्य, प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक के अपूर्ण थे। इन परियोजनाओं में कुल ₹ 572.67 करोड़ की राशि अवरुद्ध थी। 31 मार्च, 2012 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं* की सं.	आरंभिक बजट लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	लागत वृद्धि	31.3.2012 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	104	451.29	103.84	-	149.53
पेयजल एवं स्वच्छता	7	54.65	6.95	-	40.02
जल संसाधन	13	267.25	6.79	-	160.42
भवन निर्माण	58	339.81	79.84	-	222.70
कुल	182	1113.00	197.42	--	572.67

* एक करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

- अपूर्ण कार्य/परियोजनाओं की संख्या मार्च, 2011 के 167 की तुलना में 2011-12 के दौरान 182 थी। यह वृद्धि सड़क निर्माण विभाग (41 परियोजनायें) और भवन निर्माण विभाग (52 परियोजनायें) के अधीन हुई जो जल संसाधन विभाग (76 परियोजनाओं) के अधीन कमी द्वारा प्रतितुलित थी।
- तालिका 1.16 में दिये गए अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने की लक्षित तिथि अक्टूबर 2005 से नवम्बर 2012 के बीच थी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की पुनरीक्षित तिथियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। ₹ 1,113 करोड़ के अनुमानित राशि (मूल) के विचार से 2011-12 के दौरान व्यय हुई राशि (₹ 197.42 करोड़) काफी कम थी।

1.7.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में नये राज्य बनने के बाद से 31 मार्च, 2012 तक सरकार द्वारा नौ सरकारी कम्पनियों⁸ (₹ 29.05 करोड़) और 20 सहकारी संस्थाओं, निगमों, बैंक एवं

⁸ सरकारी कम्पनियों के संबंध में किये गये निवेशों, संग्रहित लाभ/हानि इत्यादि का विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (लोक उपक्रम) वर्ष 2011-12 में दर्शाया गया है।

समितियों (₹ 153.52 करोड़) में कुल ₹ 182.57 करोड़ निवेश किये गये थे (तालिका 1.17) 2010-11 में ₹ 40 लाख (0.3 प्रतिशत) और 2011-12 में ₹ 1.17 करोड़ (0.64 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त हुआ। तथापि सरकार ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 7.42 प्रतिशत से 8.03 प्रतिशत तक के औसत दर से ब्याज भुगतान किया, इसके निवेशों पर प्राप्त लाभांश नगण्य था।

तालिका 1.17: निवेशों पर लाभांश

(₹ करोड़ में)

निवेश/लाभ/उधार की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	98.96	112.47	128.73	135.18	182.57
लाभांश (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य	शून्य	0.40	1.17
लाभांश (प्रतिशत में)	शून्य	शून्य	शून्य	0.30	0.64
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर	7.97	7.42	8.03	7.98	7.64
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत)	7.97	7.42	8.03	7.68	7.00

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरणी 14

2011-12 के दौरान 47.39 (26 प्रतिशत) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (₹ 14.70 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 6.25 करोड़) और समेकित सहकारी विकास परियोजना (₹ 26.44 करोड़) में किया गया। तथापि, 2007-08 के अंत में निवेश पर लाभांश (0.64 प्रतिशत) ते.वि.आ. के 5 प्रतिशत के मानक प्रक्षेपण से काफी कम था।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थानों के साथ ही सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में निवेश बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं की गई।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ सरकार ऐसे कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान कर दी गई है। तालिका 1.18 31 मार्च 2011 तक बकाये ऋण एवं अग्रिम और पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के साथ-साथ ब्याज प्राप्ति को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.18 राज्य सरकार द्वारा अग्रिम की गई ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

अग्रिम/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागतों की प्रमात्रा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	5462	6016	6415	6713	6997
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि (₹ करोड़ में)	598	418	320	308	217
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि (₹ करोड़ में)	44	19	22	24	24
बकाया ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान का प्रतिशत	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3
अंतशेष	6016	6415	6713	6997	7190
निवल योग (₹ करोड़ में)	553	399	298	284	193
ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	87	110	153	99	44
बकाये ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत में ब्याज प्राप्ति	1.52	1.77	2.33	1.44	0.62
राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व के प्रतिशत में ब्याज भुगतान	8.57	8.26	9.00	7.98	7.64
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	(-)7.05	(-)6.5	(-)6.67	(-)6.54	(-)7.02

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम की गई ऋणों की प्रमात्रा 2007-08 में ₹ 598 करोड़ से घट कर 2010-11 में ₹ 308 करोड़ एवं 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गई। 2011-12 के दौरान यह कमी मुख्यतः शक्ति परियोजनाओं (₹ 110.48 करोड़) में दी गई ऋण एवं अग्रिम में कमी के कारण थी।
- शेष ऋण एवं अग्रिम, 2011-12 के दौरान, पिछले वर्ष के सापेक्ष 3 प्रतिशत बढ़ा। मार्च 2012 के अन्त तक मुख्य बकाया राशियाँ झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 6,584 करोड़) और नगर स्थानीय निकाय (₹ 526 करोड़) के विरुद्ध थी।
- 2011-12 के दौरान ₹ 44 करोड़ के कुल ब्याज प्राप्ति का बड़ा हिस्सा ब्याज आय (₹ 42.04 करोड़) के रूप में था जो सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध नकद शेष (₹ 2.12 करोड़) व अन्य प्राप्ति के रूप में एकत्रित था।
- ₹ 1,035.74 करोड़ के ऋण व अग्रिम (मूल ₹ 310.24 करोड़) एवं ब्याज (₹ 725.50 करोड़) की वसूली 31 मार्च 2012 तक शेष थी।

1.7.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष और राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों का विवरण तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

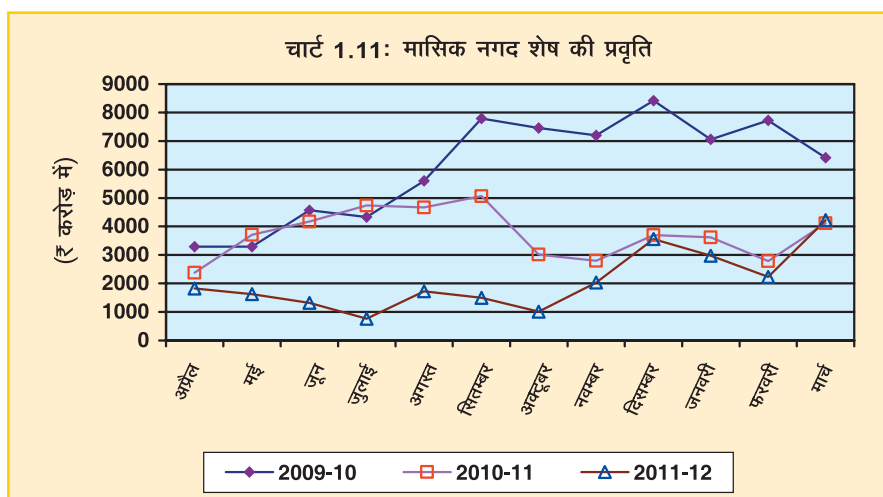
तालिका 1.19: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि/ कमी
रोकड़ शेष	(-)0.41	116.85	117.26 (वृद्धि)
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	879.19	4.41	874.78(कमी)
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	874.78	शून्य	874.78(कमी)
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41	शून्य
प्राप्त ब्याज	85.70	42.02	43.68(कमी)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 0.41 करोड़ के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को राज्य का रोकड़ शेष ₹ 116.85 करोड़ था।

मार्च, 2011 के अन्त तक ₹ 879.19 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के विरुद्ध मार्च 2012 के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष निवेश ₹ 4.41 करोड़ था। महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2012 तक का लेखा-जोखा करने पर ₹ 93.85 करोड़ का रोकड़ शेष (डेबिट) आर.बी.आई. के पास उपलब्ध था। तथापि, आर.बी.आई. द्वारा सूचित रोकड़ शेष 31 मार्च 2012 को ₹ 120.58 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2012 को ₹ 214.43 करोड़ का अन्तर समायोजन के प्रक्रियाधीन था। 30 सितम्बर 2012 तक, असमयोजित शेष ₹ 1.61 करोड़ था।



झारखण्ड सरकार को हर वक्त ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम शेष आर.बी.आई. में संचित रखना है। यदि किसी भी दिन शेष उक्त सीमा से कम होती है तो यह कमी विशेष या साधारण अर्थोपाय अग्रिम या आर.बी.आई. से ओवरड्राफ्ट द्वारा प्रतिपूरित की जाती है। जैसा **चार्ट 1.11** में दर्शाया गया है कि दैनिक रोकड़ शेष ठीक से संभाला गया और केवल सामान्य बैंकिंग लेन-देनों के लिए आवश्यक शेष ही रखे गये। 2011-12 के दौरान, राज्य को आर.बी.आई. में न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए 5 दिन विशेष अर्थोपाय अग्रिम व एक दिन सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.8.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

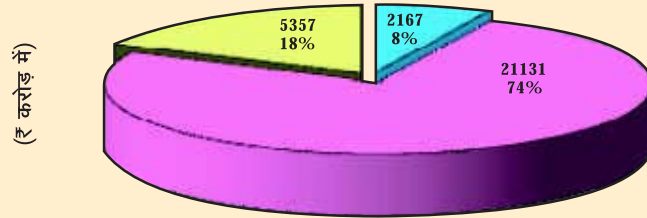
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियाँ अर्थात् भूमि और भवनों का विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 - पार्ट-बी** मार्च 2012 को उसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2011 की तदनुसूची स्थिति के साथ तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में मुख्यतः भारत सरकार से लिये गये आंतरिक उधार, ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे एवं जमा निधि से प्राप्तियाँ होती हैं, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत लागत एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष होते हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 कुल दायित्वों को संचित निधि और लोक लेखे के अतर्गत दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, सरकारी कर्मचारी के लोक निधि शेष, जमा निधि, जमायें इत्यादि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय दायित्व

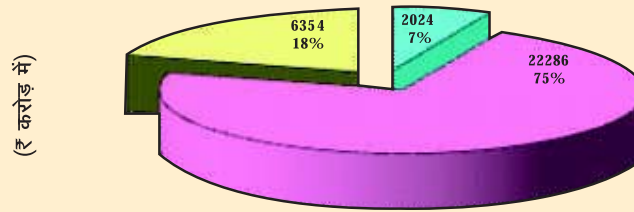
राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है। तथापि, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान राजकोषीय दायित्व का संघटन **चार्ट 1.12** और **चार्ट 1.13** में प्रस्तुत किये गये हैं।

चार्ट 1.12: 01.04.2011 को बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन
(₹ 28655 करोड़)



■ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ■ आंतरिक ऋण ■ लोक लेखा दायित्व

चार्ट 1.13: 31.03.2012 को बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन
(₹ 30664 करोड़)



■ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ■ आंतरिक ऋण ■ लोक लेखा दायित्व

तालिका 1.20: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	15859	17568	19880	21131	22286
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2540	2404	2272	2167	2024
लोक लेखे दायित्व	3216	4112	5013	5357	6354
कुल	21615	24084	27165	28655	30664
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	25.7	27.4	28.0	25.9	24.7

- राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय दायित्व 42 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2007-08 में ₹ 21,615 करोड़ से 2011-12 में ₹ 30,664 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर 2010-11 में छः प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 में सात प्रतिशत थी।
- राज्य का राजकोषीय दायित्व ₹ 443.09 करोड़ रिजर्व फंड (₹ 439.12 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा ₹ 3.47 करोड़ सरकारी व्यावसायिक निकायों/विभागों के सामान्य रिजर्व फंड) के रूप में था।
- बढ़ते दायित्व राज्य सरकार के वित्त की अविच्छिन्नता का मुद्दा उठाता है। इसका वृद्धि दर 2009-10 में 13 प्रतिशत से 2010-11 में छः प्रतिशत तक घटी और 2011-12 में आंशिक रूप से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई। तथापि, स.रा.घ.उ.

से राजकोषीय दायित्व का अनुपात 2009-10 में 28 प्रतिशत से 2011-12 में 24.7 प्रतिशत तक घटा जो उस वर्ष के लिए ते.वि.आ. के अनुशंसित 28.5 प्रतिशत से कम था। 2010-11 में राजस्व प्राप्तियाँ तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की तुलना में ये दायित्व क्रमशः 1.53 गुणा ओर 3.36 गुणा से घटकर 2011-12 में 1.37 गुणा और 3.07 गुणा हो गया। अतः राज्य के ऋण धारणीयता की क्षमता में चालू वर्ष में सुधार हुआ।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के बाहर बैंक ऋण सहित सभी ऋणों एन.एस.एस.एफ. के नामे ऋण प्रतिपूर्ति के लिए एक मर्जित निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। यद्यपि, सितम्बर 2012 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई थी।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं किया गया है (सितम्बर, 2012) ।

1.8.2 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार लेने वाले के द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की प्रत्याभूति पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकते हैं। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया था और राज्य की संचित निधि की जमानत पर प्रत्याभूति की कोई सीमा निर्धारित की गई थी।

वित्त लेखे की विवरणी 9 में कोई आँकड़ा नहीं दिया गया था क्योंकि 2011-12 के दौरान और इसके पूर्व भी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराये गये थे। यद्यपि, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई।

1.8.3 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता⁹ को निर्धारित करने वाली विभिन्न संकेतकों को विश्लेषित करना अनिवार्य है। ऋण स्थिरीकरण¹⁰,

⁹ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नकद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹⁰ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या घनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर - ब्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण * दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह घनात्मक है तो ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात संभवतः गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों¹¹ की पर्याप्तता, उधार निधि¹² की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति के साथ ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार के प्रत्याभूति का परिपक्वता रूपरेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

तालिका 1.21 2007-08 से प्रारंभ पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.21: ऋण धारणीयता : संकेतक और झुकाव

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	3087	(-)2022	(-)364	1825	1618
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-)1033	(-)1171	103	899	188
उधार निधि की निवल उपलब्धता	439	583	773	(-)737	(-)238
ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात	25.7	27.4	28.0	25.9	24.7
ब्याज भुगतान का बोझ (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	15	14	15	12	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	5	775(4)	1183(5)	1868(8)	1449(6)
1 - 3	1850(10)	2508(13)	2885(13)	2977(13)	3080(13)
3 - 5	2689(15)	2829(14)	3263(15)	2872(12)	2623(11)
5 - 7	2771(15)	2635(13)	2569(12)	3284(14)	4302(17)
7 और आगे	11084(60)	11225(56)	12252(55)	12298(53)	12856(53)
कुल	18399	19972	22152	23299	24310

कुल का प्रतिशत कोष्ठक में दिखाये गये हैं।

- जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में 2007-12 के दौरान (-)₹ 2,022 करोड़ और ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक विचलन दर्ज किया गया। 2009-12 के दौरान की प्रवृत्ति ने स.रा.घ.उ.-ऋण अनुपात में गिरावट इंगित किया और राज्य को ऋण-धारणीय स्थिति में पहुँचाया। तथापि, 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर में गिरावट के कारण प्राथमिक आधिक्य के प्रभाव के साथ प्रमात्रा विस्तार में थोड़ी कमी आई (₹ 1,618 करोड़) जो चिंता का विषय है।
- 2011-12 दौरान 24.7 प्रतिशत के साथ ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/एम.टी.एफ.पी. के लक्षित 25 प्रतिशत के बराबर था।

¹¹ बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹² कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगित ऋण प्राप्तियों के फैलाव को इंगित करता है।

यह ते.वि.आ. के 28.5 प्रतिशत के मानक स्तर से भी कम था। 2010-11 (25.9 प्रतिशत) की तुलना में 2011-12 में इसके अनुपात में कमी आई।

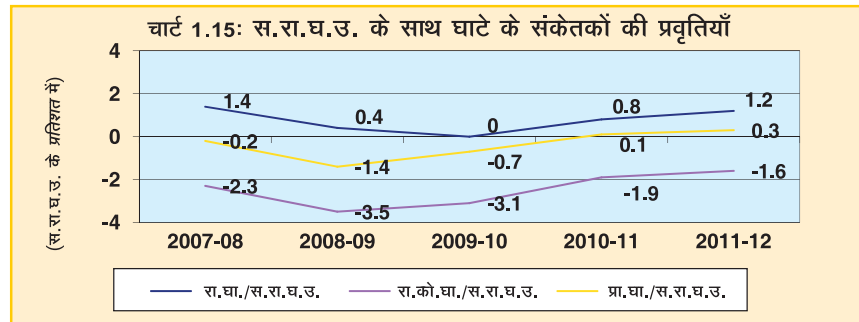
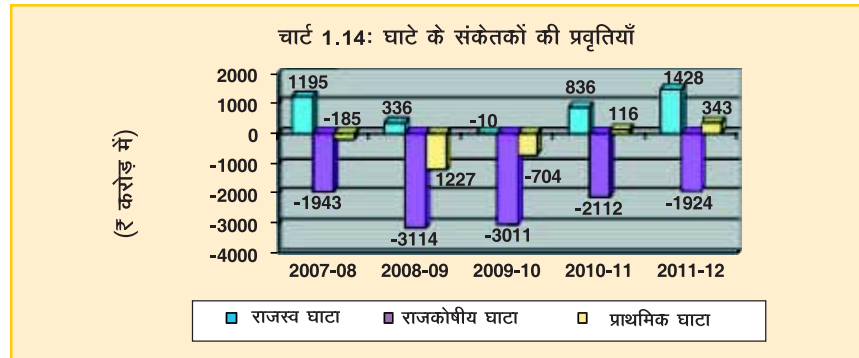
- जहाँ तक संसाधन अन्तराल का संबंध है, 2007-08 में (-) ₹ 1,033 करोड़ के संसाधन अन्तराल के विरुद्ध 2010-11 के दौरान संसाधन अन्तराल ₹ 899 करोड़ तक बढ़ा, जो राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार का उदघाटक है। तथापि, 2011-12 में यह ₹ 188 करोड़ तक तीक्ष्णता से घटा।
- कर्ज ली गई निधियों की कुल उपलब्धता 2007-08 में ₹ 439 करोड़ से 2009-10 ₹ 773 करोड़ तक बढ़ी जो 2010-11 में (-) ₹ 737 करोड़ तक घटी। तथापि, 2011-12 में यह ₹ 238 करोड़ रही।
- ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जैसा कि 2007-08 में 15 प्रतिशत से 2011-12 में 10 प्रतिशत तक कम हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में भी इसमें सुधार दर्ज किया गया, जैसा कि इसका अनुपात 12 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया।
- राज्य-ऋण की परिपक्वता अवधि से परिलक्षित होता है कि ऋण उत्तरदायित्व, तीन से पाँचवें वर्ष-खंड के अलावे, प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ती जा रही थी, जो कि भविष्य में बढ़ते ऋण उत्तरदायित्व का सूचक है। पुनः उधार इस प्रकार ली जानी चाहिए कि वर्ष विशेष में कोई ऋण समूहीकरण न हो सके क्योंकि इससे बजट पर अनचाहा दबाव बढ़ेगा।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे-किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करती है। सरकारी लेखे में घाटे प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बताती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों को उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा घाटों के वित्तीय पोषण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आकलन के लिए प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके को बताती है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.14 एवं 1.15 2007-12 के अवधि में घाटे के संकेतक की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



- 2007-12 के दौरान, सिवाय 2009-10 में ₹ 10 करोड़ का राजस्व घाटा, राज्य का राजस्व आधिक्य था। राजस्व आधिक्य की राशि 2007-08 में ₹ 1,195 करोड़ से 2009-10 में ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हो गई जो पुनः 2010-11 में ₹ 836 करोड़ और 2011-12 में ₹ 1,428 करोड़ के आधिक्य में परिवर्तित हो गई। राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और ते.वि.आ. द्वारा लक्षित "शून्य" राजस्व घाटा के लक्ष्य को 2008-09 के अन्त में प्राप्त कर लिया। तथापि, राज्य 2011-12 के लिए एम.टी.एफ.पी. के ₹ 5,379.11 करोड़ के राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
- राज्य का राजकोषीय घाटा 2007-08 में ₹ 1,943 करोड़ से 2008-09 में ₹ 3,114 करोड़ तक बढ़ा जो पुनः 2010-11 में ₹ 2,112 करोड़ और 2011-12 में ₹ 1,924 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3,390.49 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था जिसका मुख्य कारण बजट अनुमान के विरुद्ध राजस्व आधिक्य के साथ ही पूंजीगत व्यय और ऋण व अग्रिम में बढ़ोत्तरी था।
- स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता में सुधार दर्ज किया गया। यह मार्च 2010 के अन्त में 3.1 प्रतिशत से मार्च 2011 के अन्त में 1.9 प्रतिशत तक घटी जो पुनः मार्च 2012 के अन्त में भी 1.54 प्रतिशत तक कम हो गया। स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता 2010-11 के लिए 2.38 प्रतिशत तथा 2011-12 के लिए 2.80 प्रतिशत के अनुमानित सीमा के अन्दर थी। यह 2010-11 और 2011-12 के लिए ते.वि.आ. के तीन प्रतिशत के अनुशंसित सीमा के भी अन्दर था।

- 2007-12 के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा में व्यापक उतार-चढ़ाव रहा। प्राथमिक घाटा 2007-08 में ₹ 185 करोड़ से 2008-09 में ₹ 1,227 करोड़ तक घटा जो 2010-11 में ₹ 116 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया। पुनः 2011-12 में बजट में अनुमानित ₹ 935 करोड़ के प्राथमिक घाटा के विरुद्ध यह ₹ 343 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य तक बढ़ा।

1.9.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण

वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्तीय घाटा के वित्त पोषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन हुआ जैसा कि तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: वित्तीय घाटे के अवयव एवं इनके वित्त पोषण प्रणाली

(₹ करोड़ में)

विवरणी		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2010-11		
वित्तीय घाटे का बिखराव								
1	राजस्व घाटा	1195	336	(-)10	836	1428		
2	निवल पूंजीगत व्यय	2584	3051	2703	2664	3159		
3	निवल कर्ज एवं पेशगियाँ	554	399	298	284	193		
वित्तीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली *						प्राप्ति	भुगतान	निवल
1	बाजार से उधार	921	1238	1674	198	1253	469	784
2	भारत सरकार से कर्ज	(-)161	(-)136	(-)133	(-)104	33	155	(-)122
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	125	54	670	957	281	354	(-)73
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	602	1348	180	309	1104	661	443
5	लघु बचत, पी.एफ. आदि	162	200	272	105	613	544	69
6	जमा एवं अग्रिम	625	799	273	464	5236	4206	1030
7	उचन्त एवं विविध	(-)447	709	(-)258	473	23916	22974	942
8	प्रेषण	(-)146	(-)11	(-)39	6	4520	4503	17
9	अन्य	262	(-)1087	372	(-)296	-	5014	(-)5014
10	समग्र आधिक्य/घाटे	(-)1943	(-)3114	(-)3011	(-)2112	36956	38880	(-)1924
* ये सभी अंक वर्ष 2011-12 के दौरान सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।								

* ये सभी अंक वर्ष 2011-12 के दौरान सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

2011-12 के दौरान ₹ 1,924 करोड़ के राजकोषीय घाटे मुख्यतः वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 443 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 1,030 करोड़), उच्चत एवं विविध (₹ 942 करोड़) से पूरा किया गया जो बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण मद में कम लेनदारी द्वारा प्रतिलुलित किया गया।

घाटा एवं अधिक्य के गुण

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) की भरपाई करना चाहिए, जबकि राजस्व घाटे की भरपाई उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, तो राजस्व आधिक्य को पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा

सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹³ का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का द्विविभाजन इंगित करता है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है।

तालिका 1.23: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य-अवयवों का विखंडन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	12071	9074	2584	598	12256	(+)2997	(-)185
2008-09	13232	10990	3051	418	14459	(+)2242	(-)1227
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्तीय लेखे

- 2007-08 से 2011-12 के दौरान, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय और प्राथमिक व्यय में संगत वृद्धि के विरुद्ध ₹ 12,071 करोड़ से ₹ 22,444 करोड़ तक बढ़ी। 2007-12 के दौरान पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव हुआ।
- 2010-11 और 2011-12 के दौरान पर्याप्त प्राथमिक आधिक्य प्राप्तियों के बावजूद, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2007-09 के दौरान 19 प्रतिशत और 2009-10 में, जब प्राथमिक घाटा था, 15 प्रतिशत की तुलना में 13 प्रतिशत था।
- गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा प्राथमिक व्यय के भरपाई के कारण 2010-12 के दौरान प्राथमिक आधिक्य हुआ जो भविष्य में भी बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि राज्य के उत्पादक क्षमता को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सके।

1.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय अनुशासन: राज्य सरकार ने 2011-12 में राजकोषीय स्थिति सुधारने में सफल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 22,420 करोड़) 19.4 प्रतिशत बढ़ी है जबकि राजस्व व्यय (₹ 20,992 करोड़) 17 प्रतिशत से बढ़ा है। फलस्वरूप 2011-12 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 1,428 करोड़ से बढ़ा है। तथापि, राजस्व आधिक्य मध्यकालीन राजकोषीय नीति के लक्ष्य ₹ 5,379 करोड़ की तुलना में कम था। राजकोषीय घाटा (₹ 1,924 करोड़) भी वर्ष 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. का प्रतिशत 1.54 प्रतिशत रहा जो ते.वि.आ. के अनुशंसा के अन्दर (तीन प्रतिशत) था।

¹³ ब्याज भुगतान के अलावे, राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण एवं अग्रिम पर व्यय

यद्यपि, वर्ष 2011-12 के दौरान स.रा.घ.उ. में वृद्धि ते.वि.आ. मानदण्ड 14.14 प्रतिशत के सापेक्ष 12.1 प्रतिशत रहा।

2011-12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आकलन से ₹ 5,326 करोड़ से कम रहा। राज्य का अपना कर एवं कर भिन्न राजस्व का समावेशन 45 प्रतिशत था, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान का समावेशन 55 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 86 प्रतिशत था। इसकी वृद्धि स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर से काफी अधिक थी। योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) और गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 64 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में यो.रा.व्य. 27 प्रतिशत से और गै.यो.रा.व्य. 12 प्रतिशत से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता कुल राजस्व व्यय का 22 प्रतिशत था।

सरकार को स्वयं के राजकोषीय लक्ष्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना चाहिये।

पूंजीगत व्यय: वर्ष 2011-12 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 3,159 करोड़) वर्ष 2011-12 के सापेक्ष ₹ 495 करोड़ बढ़ा। तथापि, इसका प्रतिशत वर्ष 2009-10 के दौरान 15 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व एवं प्राथमिक आधिक्य के बावजूद, 13 प्रतिशत पर स्थिर रहा। पूंजीगत व्यय से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत एम.टी.एफ.पी के 3.15 प्रतिशत के सापेक्ष 2.54 प्रतिशत रहा।

सकल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी सामान्य श्रेणी राज्यों के समतुल्य औसत से काफी कम था। अतः सरकार को पूंजीगत व्यय को ज्यादा प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करना चाहिए।

विकास व्यय पर जोर: कुल विकास व्यय पिछले पाँच वर्षों के दौरान 15 प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान, विकासात्मक राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 54 प्रतिशत थी, जबकि विकासात्मक पूंजीगत व्यय केवल 13 प्रतिशत थी।

अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम साक्षरता दर एवं अधिक बी.पी.एल. आबादी को देखते हुए, सरकार को इसके विकासात्मक व्यय के पुनर्निर्धारण पर विचार करना चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सरकारी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों (31 मार्च 2012 तक ₹ 182.57 करोड़) पर प्रतिफल विगत पाँच वर्षों में एक प्रतिशत से भी कम थी, जबकि 2007-12 के दौरान सरकारी उधारों पर व्यय अपेक्षाकृत काफी अधिक थी (औसत ब्याज दर 7.42 प्रतिशत से 8.03 प्रतिशत)।

सरकार को निवेशित धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए और उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ वाले परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि हस्तांतरण: राज्य बजट के बाहर, भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 4,194.42 करोड़ का हस्तांतरण सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किया। चूंकि वार्षिक वित्त लेखे ऐसे निधियों के प्रवाह को अधिग्रहण नहीं करता है अतएव राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय इस सीमा तक कम हो जाता है। इसके अलावा, अभिकरणों को निधियों का सीधा अंतरण, जबतक इसमें समरूप लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं होता है, उन अभिकरणों द्वारा निधियों का अनुचित अनुप्रयोग के खतरों को भी बढ़ाती है।

इन सीधे हस्तांतरण के सही लेखाकरण को सुनिश्चित करने और इनके अंतिम उपयोग के निगरानी के लिए एक पद्धति/युक्ति स्थापित की जानी चाहिए।

राजकोषीय उत्तरदायित्व: राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹ 30,664 करोड़) पिछले वर्ष के सापेक्ष सात प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. के 28 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 24.7 प्रतिशत (ते.वि.आ. के वर्ष 28.5 प्रतिशत की अनुशंसा के विरुद्ध) हो गया।

राज्य को स.रा.घ.उ. से राजकोषीय उत्तरदायित्व के अनुपात को बरकरार रखना चाहिए।

ऋण धारणीयता: वर्ष 2007-12 के दौरान, स.रा.घ.उ. में उतार-चढ़ाव के कारण प्राथमिक घाटा/आधिक्य के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार में (-) ₹ 2,022 करोड़ से ₹ 3,087 करोड़ के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वर्ष 2010-11 में ₹ 1,825 करोड़ की तुलना में यह वर्ष 2011-12 के दौरान आंशिक रूप से गिरा (₹ 1,618 करोड़ तक)। तथापि, राज्य ऋण धारणीय स्थिति की ओर अग्रसर था। ऋण से स.रा.घ.उ. का अनुपात, वर्ष 2011-12 के दौरान, एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य 25 प्रतिशत के सापेक्ष 24.7 प्रतिशत था।

सरकार को वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु वर्तमान प्राथमिक आधिक्य और गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को बरकरार रखना चाहिए।